न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 265—दो / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 22—9—13 पारित द्वारा तहसीलदार, रामपुर बघेलान, जिला सतना म.प्र. प्रकरण कमांक 399 / अ—74 / 12—13.

———

राजधर विश्वकर्मा तनय सुभकरण विश्वकर्मा
वार्ड क. 9 ग्राम व तहसील रामपुर बघेलान,
जिला सतना म.प्र. ———— आवेदक

विरूद्ध

केदार प्रसाद कचेर तनय स्व. रामनाथ कचेर
वार्ड क. 15 ग्राम व तहसील रामपुर बघेलान,
जिला सतना म.प्र. ———— अनावेदक

————

श्री वाल्मीक द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री विपिन त्रिपाठी, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

————

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16-6-2015 को पारित)

————

यह निगरानी तहसीलदार, रामपुर बघेलान, जिला सतना म.प्र. के प्रकरण कमांक 399 / अ—74 / 12—13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22—9—13 के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 116 व 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम रामपुर बाघेलान की आराजी खसरा नं. 705 / 9 / 3 रकबा 0.03-¼ एकड़ का शासकीय रिकार्ड सुधारा जाकर अद्यतन किए जाने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन पर से तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को आहूत किया । आवेदक ने उपस्थित होकर आपत्ति पेश की गई जिसमें यह लेख किया गया कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो रामपुर बघेलान के न्यायालय में व्यवहार वाद 55ए / 2012 दायर किया जा चुका है अनावेदक सिविल

न्यायालय में उपस्थित भी हो चुका है। इस कारण न्यायालय को विचारण की अधिकारिता समाप्त हो जाती है । उक्त आधार पर अनावेदक का आवेदन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया । विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आवेदक के नाम की प्रविष्टि पटवारी द्वारा फर्जी तरीके से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज किए जाने के कारण जांच की अधिकारिता राजस्व न्यायालय की होना मानते हुए तथा सिविल न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं होने के कारण आवेदक की आपति निरस्त की एवं प्रकरण अनावेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया। तहसील न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम आदेश विधिविरूद्ध है तथा समयसीमा के बाहर है क्योंकि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत खसरे में किसी प्रकार की प्रविष्टि का संशोधन जानकारी के एक वर्ष के अंदर किया जा सकता है । अनावेदक को वर्ष 2009 के पूर्व से इस बात की जानकारी है कि आवेदक का मकान बना हुआ है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक से जमीन क्रय करने तथा क्रय आराजी में वर्ष 1998 से मकान बना हुए और विद्युत कनेक्शन लेने के तथ्यों को ध्यान में लाया गया था जिनका अवलोकन नहीं किया गया ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक द्वारा स्वत्व घोषाण का सिविल वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में जब स्वत्व विवादित हो तो स्वत्व का निराकरण राजस्व न्यायालय को करने की अधिकारिता नहीं है । अनावेदक खसरे के कॉलम नं. 3 में विधि प्रकिया के विपरीत जाकर अपना नाम दर्ज करना चाहता है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक द्वारा नामांतरण प्रविष्टि को फर्जी बताया जा रहा है, जो गलत है क्योंकि राजस्व रिकार्ड शासकीय दस्तावेज होता है उसको अद्यतन रखने की जबावदारी शासन की है । रिकार्ड पटवारी के पास रहता है अतः उसको तलब किया जाकर उपरोक्त रिकार्ड प्रस्तुत करने की कार्यवाही करना चाहिए किसी व्यक्ति को पटवारी की त्रुटि से दंडित नहीं किया जा सकता।

अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन जिसका प्र0क0 47/ए–70/08–09 है में जो नजरी नक्शा पेश किया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि निगराकार का मकान निर्मित है इससे स्पष्ट है कि अनावेदक को पूर्व में जानकारी थी कि निगराकार का मकान बना है । अनावेदक द्वारा जो न्यायदृष्टांत बताए गए हैं वह इस प्रकरण में लागू नहीं होते । न्यायदृष्टांत 1993 आर.एन.

26, 84 एवं 165 का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि बंदोवस्त के कागजातों या ग्राम कागजातों को विहित काल अवधि में चुनौती नहीं दी गई तो ऐसी प्रविष्टियों की सही होने की उपधारणा की जायेगा ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में यह आधार लिए गए हैं कि संहिता की धारा 257 के तहत संहिता की धारा 115, 16 के तहत कार्यवाही करने का अनन्य क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है । आवेदक का यह तर्क विधिसम्मत नहीं है सिविल न्यायालय में सिविल वाद लंबित होने के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही रोक दी जाये । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद में दिनांक 18–2–14 को आदेश पारित किया जा चुका है, इस संबंध में उन्होंने व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 55ए/2012 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–2–14 की प्रमाणित प्रति पेश की गइ है । अंत में यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य समाप्त हो चुकी है । आवेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है कि उसका नाम किस आदेश के तहत आया । इस तरह से वह मात्र फर्जी प्रविष्टि है जिसे संशोधित करने की कोई समय सीमा नहीं है । उक्त आधारों पर निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टि को अद्यतन/संशोधित किए जाने के संबंध में है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत यह पाया है कि पटवारी द्वारा की गई प्रविष्टि प्रथमदृष्टया फर्जी प्रतीत होती है और जो संशोधन है वह बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से हुआ है और उसकी जांच दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के द्वारा ही हो सकती है । जहां तक व्यवहार न्यायालय का प्रश्न है व्यवहार न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई स्थगन नहीं दिए जाने और राजस्व न्यायालय राजस्व न्यायालय की अधिकारिता होना मानते हुए आपत्ति को निरस्त किया है तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उनकी अधिकारिता के अंतर्गत होकर सुसंगत है । इस न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 55ए/2012 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–2–14 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसमें विद्वान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, रामपुर बघेलान जिला सतना द्वारा पूरे प्रकरण की विवेचना करते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 10 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निरस्त किया गया है और राजस्व न्यायालय का अधिकार क्षेत्र माना है ।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक परंपरा के अनुरूप होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर